न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, हापुड़।
सत्र वाद संख्या– 960/2023
सरकार बनाम बिलाल।
अंतर्गत धारा– 3/5 ख/8 गोवध निवारण
अधिनियम एवं 3/25 आयुध अधिनियम।
मु०अ०सं० 205/2023
थाना– सिंभावली, जिला– हापुड़।

आदेश (आरोप विरचन के संदर्भ में)

दिनांकः– 07.03.2025

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। अभियुक्त **बिलाल** जेरे हिरासत उपस्थित।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आरोप विरचन के बिन्दु पर बहस की गई। विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एस०सी०/एस०टी० एक्ट) को सुना गया। विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एस०सी०/एस०टी० एक्ट) द्वारा अपने केस का खुलासा किया गया और उस साक्ष्य का उल्लेख किया गया, जिसके द्वारा उन्हें अभियोजन का पक्ष कथन सिद्ध करना है।

पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त **बिलाल** के विरुद्ध गोवध निवारण अधिनियम की धारा 3/5 ख/8 व आयुध अधिनियम की धारा 3/25 के अधीन आरोप विरचन हेतु पत्रावली पर पर्याप्त प्रलेखीय साक्ष्य उपलब्ध हैं। अतः अभियुक्त के विरुद्ध उक्त धारा के अधीन आरोप विरचित किया जाकर वास्ते अभियोजन साक्ष्य पत्रावली दिनांक 10.03.2025 को पेश हो।

दिनांकः– 07.03.2025

(हनी गोयल)
(J.O. CODE–UP02408)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट,
हापुड़।

Digitally signed by HONEY GOEL
Date: 2025.03.08 11:05:33 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, हापुड़।
सत्र वाद संख्या– 960/2023
सरकार बनाम बिलाल।
अंतर्गत धारा– 3/5 ख/8 गोवध निवारण
अधिनियम एवं 3/25 आयुध अधिनियम।
मु०अ०सं० 205/2023
थाना– सिंभावली, जिला– हापुड़।

आरोप

मैं, हनी गोयल, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, हापुड़ एतद्द्वारा आप अभियुक्त **बिलाल** को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूं–

प्रथम– यह कि दिनांक 17.06.2023 को समय 07.49 बजे रात्रि, बस्थान ग्राम बड्ढा की ओर जाने वाले बम्बे की बायीं साईड पोपुलर के बाग में आप अभियुक्त ने गोवध करने के आशय से गाय व बछड़े का मुंह व पैर बांधकर पेड़ से बांधकर उनकी जान को खतरे में डाला। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य गोवध निवारण अधिनियम की धारा 3/5 ख/8 के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

द्वितीय– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्त से एक अदद तमंचा, एक अदद कारतूस जिंदा 315 बोर नाजायज बरामद हुए, जिनको रखने का लाइसेंस मांगे जाने पर आप लाइसेंस दिखाने में कासिर रहे। इस प्रकार से आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य आयुध अधिनियम की धारा 3/25 भा०दं०सं० के तहत दंडनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाये एवं समझाये गये। अभियुक्त ने आरोपों को अस्वीकार किया और विचारण की मांग की।

दिनांकः– 07.03.2025

(हनी गोयल)
(J.O. CODE–UP02408)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, हापुड़।

अतएव एतद्द्वारा मैं, आपको आदेशित करता हूं कि उक्त आरोपों के लिए आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांकः– 07.03.2025

(हनी गोयल)
(J.O. CODE–UP02408)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, हापुड़।